[भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 44/2017-सीमा शुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, 11 मई, 2017

का.आ. .- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के उपधारा (1) के उपवाक्य (क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, एतदद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 62/94- सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 जिसे का.आ. 829 (अ), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, उड़ीसा राज्य से सम्बंधित क्रम सं. 9 के समक्ष, कॉलम (3) में, धाम्रा पत्तन से सम्बंधित मद (4) के समक्ष, कॉलम (4) में उससे सम्बंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

''आयातित माल की उतराई और निर्यात या इसी श्रेणी के अन्य किसी माल की लदाई।''

(फा.सं. 572/02/2017- एलसी)

(सत्यजीत मोहन्ती)
निदेशक (आईसीडी)

नोट : प्रधान अधिसूचना, को अधिसूचना सं. 62/1994- सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 21 नवम्बर, 1994, का.आ. 829 (अ), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 15/2017- सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 2 मार्च, 2017, का.आ. 695 (अ), दिनांक 2 मार्च, 2017 के द्वारा संशोधन किया गया है।